

कार्यालय: निदेशक, होम्योपैथी, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, आठवा तल, अशोक मार्ग, लखनऊ।

विज्ञप्ति


यू०पी० आयुष यू०जी० काउंसिलिंग-2023 के द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय सारणी।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के यू०जी० पाठ्यक्रमों (बी०ए०एम०एस०, बी०यू०एम०एस० एवं बी०एच०एम०एस०) में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग की समय-सारणी निम्नवत् है:-

द्वितीय काउंसिलिंग चक्र		
क्र०स०	विवरण	दिनांक/समय
1	ऑनलाईन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि	दिनांक 03/10/2023 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से) दिनांक 05/10/2023 (अपराहन 02:00 बजे तक)
2	धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 03/10/2023 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से) दिनांक 06/10/2023 (मध्याह्न 12:00 बजे तक)
3	आनलाईन अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 04/10/2023 से दिनांक 07/10/2023 (मध्याह्न 12:00 बजे तक)
4	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन	दिनांक 07/10/2023 (अपराहन 02:00 बजे तक)
5	ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग (वरीयता विकल्प) भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि	दिनांक 07/10/2023 से मेरिट सूची (State Merit List) के प्रकाशन के बाद से दिनांक 09/10/2023 (सायं 06:00 बजे तक)
6	अन्तिम सीट आवंटन सूची/सूचियों का प्रकाशन	दिनांक 10/10/2023 (सायं 05:00 बजे तक)
7	नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 11/10/2023 से दिनांक 12/10/2023 तक (सायं 05:00 बजे तक)
8	आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनांक 13/10/2023 (सायं 05:00 बजे) तक
9	प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अन्तिम तिथि	दिनांक 14/10/2023 (मध्याह्न 12:00 बजे तक)
10	अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 14/10/2023 (अपराह्न 03:00 बजे) तक
11	नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 16/10/2023 (प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 17/10/2023 सायं 05:00 तक)
12	अपग्रेडेड आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अन्तिम तिथि	दिनांक 18/10/2023 (सायं 05:00 बजे) तक

- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के अर्ह अभ्यर्थियों को वरीयता विकल्प भरना (choice filling) अनिवार्य है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, वह काउंसिलिंग-2023 की वेबसाइट <https://www.upayushcounseling.upsdc.gov.in> पर पंजीकरण शुल्क रुपये-2000/- जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से सीट आवंटित न हुई हो, द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हें पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की फिस से आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है, तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउन्सिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, पुनरावंटन (reshuffling) के लिये द्वितीय चक्र में च्वाइस फिलिंग कर प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें, अन्यथा की स्थिति में यदि उसको पूर्व अवंटित सीट फिर से अवंटित हो जाती है तो उसे पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जायेगी तथा उस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, किन्तु पुनरावंटन न होने की स्थिति में उसकी पूर्व की सीट यथावत् बनी रहेगी।
- द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र की भौति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया की जायेगी।
- अभ्यर्थी यदि अपने लिए आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि (राजकीय आयुष कालेज हेतु रूपये-20,000/- एवं निजी क्षेत्र के आयुष कालेज हेतु रूपये-50,000/-) विभाग के पक्ष में जब्त हो जायेगी।
- स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 01.04.2023 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। **भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में विवरण पुस्तिका के संलग्नक सं0-05 के अनुसार जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होती है ती ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी/उपश्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जायेगी।
- अर्हता का प्रमाणीकरण संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन द्वारा अन्तिम रूप से किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने समस्त अभिलेख, मूलरूप में लेकर निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मान्य मूल अभिलेख के अभाव में अर्हता प्रमाणित नहीं होती है तो ऐसी दशा में तद्सम्बन्धित लाभ/अभ्यर्थन समाप्त अथवा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेख सत्यापन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है इसके अभाव में उसका सत्यापन पूर्ण नहीं हो सकेगा।
- ऑनलाइन काउन्सिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
- **Help Line Number (Mob.) : +91-7376520591, +91-7376524687**
Email ID : upayushcounselling2022@gmail.com


 (प्रो० अरविन्द कुमार वर्मा)
 निदेशक/सदस्य सचिव,